

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 10/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ)– केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा0का0नि0 सं0 620(अ), तारीख 28 अगस्त, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 108/95, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1995 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाले समस्त माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से उस स्थिति में छूट प्रदान करती है, जब उसकी पूर्ति संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन को उनके शासकीय उपयोग के लिए की गई है :

परंतु ऐसा तब, जब उक्त माल की निकासी से पहले विनिर्माता उसके कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त के समक्ष संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन से यह प्रमाणपत्र पेश करे कि उक्त माल संयुक्त राष्ट्र या उक्त अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा शासकीय उपयोग के लिए आशयित है ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "अंतरराष्ट्रीय संगठन" से ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है, जिसे, केंद्रीय सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में यह घोषित कर दिया हो कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार